(ग) क्या सरकार ने विभिन्न नदियों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने के लिए उनकी लाभ-प्रदता और संभावना के संबंध में कोई प्रारूप तैयार कर लिया है और क्या इस प्रयोजन के लिए नदियों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस योजना को भिन्न-भिन्न चरणों में लागू करेगी; और

(च) यदि हां, तो ऐसे चरणों का ब्यौरा क्या है और चरणवार कितनी-कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है और प्रत्येक चरण के लिए कितना-कितना समय निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (घ) सरकार द्वारा तैयार किये गए जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जल की प्रचुरता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अंतरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों तथा हिमालयी नदियों के बीच अलग-अलग अंतःस्थापित करने की परिकल्पना है । सरकार ने इन प्रस्तावों को पुष्ट करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कुल 36 जल अंतरण सम्पर्क 17 प्रायद्वीपीय घटक में और 19 हिमालयी घटक में अभिज्ञात किये गये हैं ।

प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 13 सम्पर्कों के कार्यालय अध्ययन पूरे हो गए हैं, शेष प्रायद्वीपीय सम्पर्कों तथा हिमालयी घटक के अंतर्गत सभी सम्पर्कों के अध्ययन आठवीं योजना में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, प्रायद्वीपीय घटक के 9 सम्पर्कों तथा हिमालयी घटक के तीन सम्पर्कों को अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ङ) और (च) योजनाओं का कार्यान्वयन व्यवहार्यता अध्ययनों के पूरा करने के बाद संबंधित राज्यों के बीच समझौता हो जाने तथा निधियों की उपलब्धता होने पर किया जा सकता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अभाव में परियोजनाओं के निर्माण की अनुमानित लागत तथा समय-अनुसूची बताना सम्भव नहीं है।

ड्रिप सिंचाई

3557. **श्री वीरेन जे० शाह :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुल कृषि भूमि का 70 प्रतिशत भाग सूखा रहता है क्योंकि यह कृषि प्रयोजनों के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस प्रकार की शुष्क भूमि में ड्रिप सिंचाई पद्धति शुरू करना बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने देश में ड्रिप सिंचाई पद्धति द्वारा सिंचाई किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए किसी योजना को क्रियान्वित करने का फैसला किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी भूमि को ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस बारे में कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल कितने क्षेत्रफल भूमि को इस प्रणाली के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) भूमि प्रयोग वर्गीकरण (1989-90) के अनुसार निवल बुआई क्षेत्र 139.52 मि० हैक्टेयर है जिसमें से निवल सिंचित क्षेत्र 45.14 मिलियन हैक्टेयर है। शेष 94.38 मिलियन हैक्टेयर वर्षापात पर निर्भर रह जाता है जो 67.6 प्रतिशत है।

(ख) ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लाभों में से एक लाभ सिंचाई के लिए जल की बचत करना है। इस प्रणाली का उद्देश्य दुर्लभ जल संसाधनों के कुशल प्रबंध के रूप में श्रेष्ठ प्रभाव, प्राप्त करना है। यह खेत को जल आप्लावित करने के परम्परागत तरीके के विरुद्ध है।

(ग) और (घ) सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली के प्रयोग के लिए 197.1 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से ड्रिप सिंचाई की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) आठवीं योजना की ड्रिप सिंचाई योजना में 197.1 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत 1.25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है।

परियोजनाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

3558. श्री राम जेठमलानी :

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 158 बड़ी, 226 मझोली तथा 96 अन्य पुरानी परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं, जिनका या तो विस्तार किया जाना था या आधुनिकीकरण;

(ख) यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं के निर्माण में विलंब के कारण इनकी निर्माण लागत बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो उनकी कुल कितनी निर्माण लागत बढ़ गई है;

(ङ) दिसम्बर, 1993 तक निर्माणाधीन सभी सिंचाई परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) क्या इन परियोजनाओं से उत्पन्न की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) और (ज) और कितनी राशि का निवेश करने के बाद सिंचाई क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) देश में 158 वृहद, 226 मध्यम और 95 विस्तार/नवीकर/आधुनिकीकरण सिंचाई योजनाएं आठवीं योजना में आगे लाई गई। उपर्युक्त में से 103 वृहद, 165 मध्यम और 20 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई योजनाएं योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई थी तथा उनकी लागत मूल अनुमोदित लागत की तुलना में लगभग 246 प्रतिशत बढ़ गई है। इन परियोजनाओं के पूरा करने में हुए विलंब के अतिरिक्त क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के डिजाइनों और व्याप्ति क्षेत्र में परिवर्तन जैसे ये घटक सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक समय लगने तथा लागत बढ़ने के लिए उत्तरदायी है। परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय अपर्याप्त अन्वेषण; मुख्य रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, भूमि अधिग्रहण के लिए